इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012—आषाढ़ 22, शक 1934

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्र. 18-1-91-म-इकत्तीस-412.—क्रमांक-18-1-99-म-इकत्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 40, 92 एवं 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 92, की उपधारा (3) के अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 71-क (दो) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

71-क (तीन) मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों को जल के आवंटन के उपरांत जलकर अग्रिम निम्नानुसार जमा करना होगा :—

1. औद्योगिक इकाई को जल आवंटन आदेश जारी किए जाने की तिथि से लेकर औद्योगिक इकाई द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तावित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि तक की अवधि के लिए आवंटित जल पर देय जलकर की निम्नानुसार राशि जमा कराई जाए:—

अवधि	राशि (आवंटित जल पर देय जलकर राशि का प्रतिशत)
प्रथम तीन माह के लिए	100 प्रतिशत
प्रथम वर्ष के 4 से 12 माह तक	10 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	20 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	30 प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	40 प्रतिशत
पंचम वर्ष	50 प्रतिशत
पंचम वर्ष उपरांत	50 प्रतिशत

2. उपनियम (1) में दर्शायी राशि में से 25 प्रतिशत धनराशि जलकर के रूप में जल संसाधन विभाग के राजस्व शीर्ष में और शेष 75 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में जल संसाधन विभाग के "पी.डी. खाते" में शासकीय खजाने में जमा कराई जावेगी.

3. औद्योगिक इकाई द्वारा उसके आवेदन में दर्शाई (प्रस्तावित) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि अथवा उसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दशा में औद्योगिक इकाई से उपरोक्तानुसार प्राप्त जलकर एवं अग्रिम की राशि का समायोजन मासिक जलकर के देयकों में किया जावेगा.

4. औद्योगिक इकाई द्वारा जल आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में दर्शाई (प्रस्तावित) तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं करने की दशा में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए:—

(अ) औद्योगिक इकाई को सूचना-पत्र जारी कर जल आवंटन निरस्त करने के लिये प्रकरण राज्य जलस्रोत उपयोग समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए.

(ब) जल आवंटन निरस्त किया जाने की दशा में औद्योगिक इकाई द्वारा जमा कराई गई जलकर अग्रिम की राशि (जलकर की राशि जो कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत होगी छोड़कर) औद्योगिक इकाई को लौटा दी जाए.

5. जलकर तथा जलकर अग्रिम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

6. जिन इकाइयों को जल आवंटन तो प्राप्त है परन्तु जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है, को उक्त उप-कंडिका 1 से 5 में वर्णित नीति पर सहमति देने के लिये 30 दिवस का नोटिस दिया जावेगा. जिन इकाईयों से सहमति प्राप्त होगी उनसे सहमति पत्र की तिथि से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि तक की अवधि के लिए उप-कंडिका 1 के अनुसार जलकर तथा अग्रिम जमा कराया जावेगा. जिन इकाइयों द्वारा सहमति निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत नहीं की जायेगी उनका जल आवंटन निरस्त किया जा सकेगा.

7. मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को आवंटित जल के संबंध में उप-कंडिका-1 से उप-कंडिका-5 तक के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

No. 18-1-91-M-XXXI-412.—In exercise of the powers conferred by Section-40, 92 and 93 of the "Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931" (No. 3 of 1931) the state Government hereby makes the following amendment in the "Madhya Pradesh Irrigation Rules, 1974" the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 92 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. After rules 71-A (2), the following rules shall be inserted, namely:—

71-A (3) following water tax and advance water tax shall be deposited by industrial units/company from the date of water allocation made by Madhya Pradesh Government :—

1. The company shall deposit water tax from the date of allocation up to the date of commercial production as follows:—

Period	Amount (percentage of water tax on allotted water)
For 1st three months	100 %
For 4 to 12 months of first year	10 %
Second year	20 %
Third year	30 %
Fourth year	40 %
Fifth year	50 %
After Fifth year	50 %

2. 25% of the amount deposited by the company as per sub-rule-1 shall be received as revenue under Water Resources Department and rest 75% amount shall be deposited under "The PD Account''in Government Treasury, as an advance.

3. If the company starts commercial production on or before the date as shown in application, then the amount deposited as water Tax and advance shall be adjusted against the manthly bills for water tax as per the agreement with the company.

4. If the company do not start commercial production mentioned in application, then following action shall be taken:—

(a) A notice be served to the company and case shall be submitted to the State Water Resources Utilisation Committee for cancellation of water allocation.

(b) In condition of cancellation of water allotment the amount of water tax deposited as advance (excluding 25% as water tax) will be returned to the industries.

5. There will be no interest payable on the water tax and the advance water tax.

6. The industries/companies who have received water allocation but have not started commercial production shall be given a notice of 30 days to submit consent for acceptance of sub-rule 1 to 5 above. Those industries/companies, who submit consent as narrated above shall deposit water tax and advance as per sub-rule-1 from the date of consent. The water allocation for those industries/companies, who do not submit their consent with in prescribed period, shall be cancelled.

7. The sub-rules 1 to 5 will not be applicable on Madhya Pradesh Power Generating Company regarding water allotment.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रकाश जांगरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.